गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

<u>उपाध्यक्ष /मा0 अध्यक्ष महोदय</u>

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 147वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 22.12.2016 का कार्यवृत्त तैयार कर लिया गया है । कृपया अनुमोदनोपरान्त कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने की कृपा करें ।

22/12/16

(रवीन्द्र गोडबोले),
संचिव

कृ. हस्ताक्षरार्थ

24/12/16

मा. अध्यक्ष

22/12/16

OS

24/12/16

Sec

24/12/16

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 147वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 22–12–.2016 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 147वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 22–12–2016 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः:–

1.	श्री सदा कान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	श्री विजय कुमार यादव,, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	उपाध्यक्ष
3,	श्री शिव जनम चौधरी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	विशेष आमंत्री
4.	श्री प्रेम प्रकाश, उप जिलाधिकारी, हापुड–जिलाधिकारी –हापुड के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	श्री डी0सी0गुप्ता, वरिष्ठ नियोजक, लखनऊ–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	श्री विकास कुरील , अधिशासी अभियन्ता–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	श्री ए0के0 सिंह, ए0डी0, कोषागार एवं पेंशन –अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन ,मेरठ मंडल, मेरठ के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	श्री विवेक भाष्कर, सहायक नियोजक –चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन.सी. आर. सेल, गाजियाबाद के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	श्री जे0पी0सिंह कश्यप	गैर सरकारी सदस्य
10.	श्री उम्मेद पहलवान	गैर सरकारी सदस्य
11.	श्री अनिल स्वामी, पार्षद नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नामित	गैर सरकारी सदस्य
12.	श्री सिंह राज पार्षद नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नामित	गैर सरकारी सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0		विषय	निर्णय
147/1		प्राधिकरण की 146वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.09.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 146वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 27.09.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।
147/2		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 146वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 27.09.2016 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 146वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 27.09.2016 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की . गई ।
147/3		वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये प्रस्तावित बजट के विभिन्न लेखा शीर्षक में धनराशि पुनर्विनियोजन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये अनुमोदित प्रस्तावित बजट के लेखा शीर्षक 29010, 29040, 29090, 79010, 79020, 76010, 70, 80, 25, 31, 72, 73, 74 व 82 में अंकित प्रस्तावानुसार धनराशि के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
147/4		पुलिस सिटी सहकारी आवास समिति लि0 की खसरा सं0 2683, 2687, 2688, 2694, 2697 से 2701, 2705, 2707, 2716, 2723, 2725, 2726, 2730, 2731, 2837 से 2840 राजस्व ग्राम शाहपुर बम्हैटा भूमि के कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के कम में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा पुलिस सिटी सहकारी आवास समिति लि0 की खसरा सं0 2683, 2687, 2688, 2694, 2697 से 2701, 2705, 2707, 2716, 2723, 2725, 2726, 2730, 2731, 2837 से 2840 राजस्व ग्राम शाहपुर बम्हैटा भूमि के कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के कम में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा किये जाने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में प्रभावी उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्धरण एव संग्रहण) नियमावली –2014 तदानुसार शासनादेश संख्या 2281/8–3–14– 194 विविध /14 दिनॉक 11–12–2014 के प्राविधान के अनुसार प्रेषित पत्र दिनॉक 02–6–2012 के माध्यम से सूचित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि

			₹ 12,17,59,120.00 (₹ बारह करोड सतरह लाख उन्सठ हजार एक सौ बीस मात्र) को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
147/5		कमला नेहरू नगर में एन0डी0आर0एफ0 की आठवीं बटालियन के स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र के क्रम में विलम्ब ब्याज की धनराशि रू0 21,554.00 को माफ किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा कमला नेहरू नगर में एन0डी0आर0एफ0 की आठवीं बटालियन के स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र के क्रम में निरीक्षण शुल्क तथा लेबर सैस पर देय विलम्ब ब्याज की धनराशि ₹ 21,554.00 (₹ इक्कीस हजार पॅाच सौ चव्वन मात्र) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन अलाभकारी व राष्ट्र सेवा में लगी संस्था होने के कारण विशेष परिस्थितियों में माफ किये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
147/6		सूर्यनगर आवासीय योजना /रामपुरी कालौनी के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के संबंध में	विस्तृत विचार विमर्श बोर्ड द्वारा सूर्यनगर आवासीय योजना /रामपुरी कालौनी के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव **Defer** किया गया ।
147/7		राजनगर आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप पार्क भू–उपयोग से क्लब क्रिया विशेष अनुमति की अनुमन्यता के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा राजनगर आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पार्क भू–उपयोग से क्लब क्रिया विशेष अनुमति की अनुमन्यता संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
147/8		कविनगर योजना के ब्लाक –आई व जी के मध्य नेबरहुड पार्क एण्ड ओपन स्पेस उपयोग की भूमि में से 30मी0 x 40मी0 क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर भूमि पर विद्युत उप केन्द्र के निर्माण के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा कविनगर योजना के ब्लाक –आई व जी के मध्य नेबरहुड पार्क एण्ड ओपन स्पेस उपयोग की भूमि में से 30मी0 x 40मी0 क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर भूमि पर विद्युत उप केन्द्र के निर्माण के फलस्वरूप योजना के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करते हुए विद्युत उपकेन्द्र हेतु चिन्हांकित भूमि पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

147/9		गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/ इन्टीग्रेटिड टाउनशिप की योजनाओं की प्रगति के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/ इन्टीग्रेटिड टाउनशिप की योजनाओं की प्रगति अवलोकित की गई। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे हाईटैक/इन्टीग्रेटिड परियोजनाओं की समीक्षा भी कर ली जाए।
147/10		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना की अर्जित भूमि के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11501/2016 (एस0एल0पी0 संख्या 16609/2010) में पारित आदेश दिनॉक 30–11–2016 के अनुपालन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के अनुसार प्रतिकर दिये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :– प्राधिकरण स्तर पर मधुबन–बापूधाम योजना के नियोजन व अर्जन के सम्बन्ध मे पुर्नविचार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। समिति के गठन एवं समिति की संस्तुति के क्रम मे निर्णय लिये जाने हेतु उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। समिति योजना से सम्बंधित समस्त बिन्दुओं यथा– भू–अर्जन, नियोजन, आर्थिक, विधिक व अन्य आवश्यक बिन्दु पर विचार–विमर्श करे। विचार–विमर्श उपरान्त अपनी विस्तृत संस्तुति उपाध्यक्ष को उपलब्ध कराये। समिति की संस्तुतियो के क्रम मे अति आवश्यक भूमि के अवार्ड कराने की कार्यवाही की जाए तथा जिस भूमि की आवश्यकता प्रतीत न हो उसका अवार्ड घोषित न कराये जाने के सम्बन्ध मे भी विचार कर लिया जाए। निर्णय से आगामी बोर्ड बैठक को भी अवगत कराया जाए।
147/11		जनपद गाजियाबाद के ग्राम पंचायत अटौर, विकास खण्ड रजापुर, गाजियाबाद में खसरा नम्बर 341, 343, 345 व 349 में लगभग 25 बीघा जमीन पर खेल मैदान विकसित करने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा जनपद गाजियाबाद के ग्राम पंचायत अटौर, विकास खण्ड रजापुर, गाजियाबाद में खसरा नम्बर 341, 343, 345 व 349 में लगभग 25 बीघा जमीन पर खेल मैदान विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया । खेल मैदान का वित्त पोषण लगभग ₹1.00 करोड (लगभग ₹एक करोड) विकास शहर की हरित पटि्टयों का उद्यानीकरण एवं अनुरक्षण के कार्य हेतु अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत

			₹ दो करोड की धनराशि से किया जायेगा ।
146/12		जनपद गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मॉग पर बोर्ड बैठक संख्या 143वीं में प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में एक वर्ष हेतु किराये पर उपलब्ध करायी गयी क्रेनों का पुनः 01 वर्ष की अवधि बढाने जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा जनपद गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मॉग पर बोर्ड बैठक संख्या 143वीं में प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में एक वर्ष हेतु किराये पर उपलब्ध करायी गयी क्रेनों का पुनः 01 वर्ष की अवधि (01–10–2016 से 30–9–2017 तक)तक प्रति क्रेन ₹ 1,915.00 प्रतिदिन की दर से चार छोटी क्रेनों हेतु ₹ 27,95,900.00 (₹ सत्ताईस लाख पिचानवे हजार नौ सौ मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।
147/13		प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत प्राधिकरण कर्मचारियों / अधिकारियों को आवंटित स्टाफ भवनों को विक्रय किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत प्राधिकरण कर्मचारियों / अधिकारियों को आवंटित स्टाफ भवनों को विक्रय किये जाने के संबंध में बोर्ड निर्णय के अनुपालन में गठित समिति की संस्तुति के क्रम में मात्र प्रस्ताव के तालिका के क्रम संख्या –1 पर अंकित शास्त्रीनगर के भवन संख्या SC-64B व SC-79A को पूर्व में आवंटित अन्य कर्मचारियों की भॉति समानता के सिद्धान्त पर दृष्टिगत रखते हुए मैरिट के आधार पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार विक्रय किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया :– 1. प्रश्नगत भवनों का मूल्यांकन वर्तमान दर पर किया जाये। 2. वर्तमान मूल्यांकन पर निर्धारित विक्रय मूल्य के अनुसार समस्त देय धनराशि तीन माह में एक मुश्त जमा की जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार समरूप मे यदि अन्य भवन उपलब्ध हो तो उनके सम्बन्ध मे भी कार्यवाही

			की जाए।
147 / 14		आवासीय योजना राजेन्द्रनगर सै0–5 में स्थित सांई वाटिका नामक पार्क में निर्मित सामुदायिक केन्द्र को जनहित में निम्न नियम व शर्तों के आधार पर अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को कार्य करने देने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा आवासीय योजना राजेन्द्रनगर सै0–5 में स्थित सांई वाटिका नामक पार्क में निर्मित सामुदायिक केन्द्र को जनहित में अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को कार्य करने देने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव स्वीकार किया गया :– • राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को आवंटन की दशा में उपरोक्त सामुदायिक केन्द्र के रख–रखाव पर होने वाले व्यय के रूप में रू0 2,000/– प्रतिमाह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में जमा कराने होगें। • उपरोक्त सामुदायिक केन्द्र का विद्युत बिल प्रतिमाह का भुगतान राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। • उपरोक्त सामुदायिक केन्द्र में चौकीदार आयुर्वेदिक विभाग का ही होगा। • उपरोक्त सामुदायिक केन्द्र पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा वहाँ की जनता के लिए जनहित में कार्य किया जायेगा। • आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को जब सामुदायिक केन्द्र की आवश्यकता होगी, तब यह भवन खाली करना होगा । इस हेतु उनसे अन्डरटेकिंग प्राप्त कर ली जाये ।
147 / 15		श्री संघप्रिय अशोक, कनिष्ठ लिपिक को ₹4,28,662,00 के मेडिकल बिलों के भुगतान के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा श्री संघप्रिय अशोक, कनिष्ठ लिपिक के चिकित्सा संबंधी ₹4,28,662,00(₹ चार लाख अट्ठाईस हजार छः सौ बासठ मात्र) के मेडिकल बिलों के भुगतान संबंधी प्रस्ताव को

			स्वीकार किया गया ।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त मद			
147/16		जनपद गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था को दुरूस्त किये जाने हेतु सिटी आउटडोर सर्विलान्स को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए क्रियाशील रखे जाने हेतु वित्त पोषण ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा जनपद गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था को दुरूस्त किये जाने हेतु सिटी आउटडोर सर्विलान्स सिस्टम की ए0एम0सी0 हेतु आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता मे धनराशि की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बंधित विभागो की एक बैठक आयोजित कर ली जाए तथा समिति के निष्कर्षो उपरान्त जो धनराशि प्राधिकरण द्वारा देय होगी, उसका भुगतान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाए।
147/17		गाजियाबाद विकास प्राकिरण में ई–टेन्डरिंग लागू किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद विकास प्राकिरण में ई–टेन्डरिंग लागू किये जाने संबंधी प्रस्ताव अवलोकित किया गया । यह भी निर्देश दिये गये कि ई–टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध मे पैटर्न अभी से तैयार कर लिया जाए तथा आगामी वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया जाए।
147/18		प्राधिकरण में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाईल भत्ते को पुनरीक्षित करते समय अन्य समकक्ष कर्मचारियों आदि को भी इस सुविधा हेतु सम्मिलित किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाईल भत्ते को पुनरीक्षित करते समय अन्य समकक्ष कर्मचारियों आदि को भी इस सुविधा हेतु सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
147/19		श्री दिनेश चन्द त्यागी, कनिष्ठ लिपिक को रू0 4,20,758/– के मेडिकल बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा श्री दिनेश चन्द त्यागी , कनिष्ठ लिपिक के चिकित्सा संबंधी ₹4,20,758,00(₹ चार लाख बीस हजार सात सौ अठठावन मात्र) के मेडिकल बिलों के भुगतान संबंधी प्रस्ताव को

			स्वीकार किया गया ।
147/20		श्री राजीव सिंह, अधिशासी अभियन्ता की पत्नी के ईलाज में हुए चिकित्सा बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा श्री राजीव सिंह, अधिशासी अभियन्ता की पत्नी के इलाज पर हुए चिकित्सा संबंधी ₹8,00,590,00(₹ आठ लाख पॉच सौ नब्बे मात्र) के मेडिकल बिलों का भुगतान संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । समायोजन व भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाये ।
147/21		प्राधिकरण द्वारा नीलामी के माध्यम से आवंटित हाई स्कूल भूखण्ड पर इंटरमीडिएट के मानक पूर्ण करने एवं शेक्षिक बोर्ड से उच्च श्रेणी की मान्यता प्राप्त होने पर संचालन की अनुमति दिये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण द्वारा नीलामी के माध्यम से आवंटित हाई स्कूल भूखण्ड पर इंटरमीडिएट के मानक पूर्ण करने एवं शैक्षिक बोर्ड से उच्च श्रेणी की मान्यता प्राप्त होने पर इण्टरमीडिएट स्कूल संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि मैसर्स साया बिल्डकॉन कर्न्सोशियम प्रा0लि0 द्वारा हाई स्कूल का संचालन अवश्य करेगें। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये जाने किये जाने वाले स्कूल भूखण्डों के मानक संशोधित हो जाने के कारण संशोंधित मानको के अर्न्तगत आने वाली उच्च क्रियाओं हेतु यदि सम्बंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है तो प्राधिकरण द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाए कि जिस क्रिया हेतु भूखण्ड आवंटित हुआ है, उस क्रिया के साथ–साथ शैक्षिक बोर्ड द्वारा अनुमन्य की जाने वाली उक्त क्रियाएं भी संचालित की जा सकेंगी।
अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से।			
147/22		पुनरीक्षण वाद सं0 104–एल0ए0/2016 श्रीमती कमलेश गर्ग पत्नी श्री अनिल गर्ग तथा श्रीमती अंजना गर्ग पत्नी श्री विजय गर्ग पुनरीक्षणकर्ता बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के	पुनरीक्षण वाद सं0 104–एल0ए0/2016, श्रीमती कमलेश गर्ग पत्नी श्री अनिल गर्ग तथा श्रीमती अंजना गर्ग पत्नी श्री विजय गर्ग पुनरीक्षणकर्ता बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध मे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस

		सम्बन्ध मे।	हेतु जारी शासनादेश सं0 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, संख्या 1664/आठ–3–16–104सीए/2016 दिनांक 16.12.16 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

22/12/16
(रवीन्द्र गोडबोले)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

22/12/16
(विजय कुमार यादव)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

22/12/16
(सदा कान्त)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ